न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

23 / 2022

श्री यासीन उर्फ आसीन पुत्र नन्दा पिंजारा निवासी हमीरपुर तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

--अपीलार्थी

वनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोडारायसिंह --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 25.08.2022**

प्रकरण का सक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एव अति० कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनाक 03.06.2022 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एव अति० जिला कलेक्टर टोंक ने उनके पत्र कमांक 469 दिनाक 13.06.2022 से लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोडारायसिंह जिला टोंक को प्रार्थना पत्र अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

पटवारी हल्का हमीरपुर द्वारा दिनाक 24.09.2020 मौका पर्चा के अनुसार खसरा नम्बर 3294/3 रकबा 0.20 हैक्टेयर, लाली पत्नि रामेश्वर धाकड गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है, इसी प्रकार 3294/2 रकबा 0.20 है० रतनी पत्नि श्रीराम जाट निवासी नारायणपुरा, गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर रास्ते व प्रार्थी के खेत के बीच लाली पत्नी रामेश्वर का अलाटमेन्ट है। मौका पर्चा की छाया प्रति संलग्न है। कृपया बताये कि लाली पत्नि रामेश्वर धाकड व रतनी पत्नि श्रीराम जाट को अलाटमेन्ट कब (दिनांक) तथा किसके द्वारा अलाटमेन्ट किया गया प्रमाणित प्रतिलिपि भेजें।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि मे सूचना उपलब्ध नही होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्व अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा०पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एव तहसीलदार टोडारायसिंह जिला टोंक को पत्र किमांक 753 दिनाक 26.07.2022 व 816 दिनाक 8.8.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एव तहसीलदार टोडारायसिह द्वारा पत्र कमाक 5795 दिनाक 2-08-2022 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबध में अपीलार्थी को उनके पत्र कमाक 5165 दिनाक 08.07.2022 से सूचित किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वाछित सूचना के सबंध मे सू[illegible]। अतः अपील मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीला[illegible]य की प्रति लोक सूचना अधिकारी एव तहसीलदार टोडार[illegible] तथा अपीला[illegible] प्रेषित की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:32:04 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते